05.01.2026–पत्रावली आज पेशी मे ली गई। वादीया अधिवक्ता ने वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि चक नम्बर 30 एस.एस.डब्लयू. के खाता सख्या 71/57 मे वादीया के पति का नाम सुखदेवसिह दर्ज है जो सुखदेवसिह के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर बलदेवसिह अंकित किया जावे। जबकि अन्य दस्तावेजो मे बलदेवसिह ही दर्ज है इसलिए सुखदेवसिह के स्थान पर बलदेवसिह दर्ज रिकॉर्ड किये जाने का निवेदन किया है।

अतः प्रकरण दर्ज किया जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील पत्रांक एल. आर/25/2569/दिनांक 15.10.2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि सुखदेवसिह उर्फ बलदेवसिह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनआधार, पहचान पत्र, मूलनिवास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिपोर्ट, ग्राम पचायत चक ज्वालासिहवाला आदि मे बलदेवसिह होने की पुष्टि होती है। अतः वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार हनुमानगढ़ को निदेशित किया जाता है। कि मे दर्ज खातेदार वादीया के पति को नाम **सुखदेवसिह के स्थान पर बलदेवसिह** नाम दुरूस्ती कर दर्ज किया जावे। आदेशानुसार अमलदरामद किया जावे पत्रावली फैसला शुमार कर दाखिल दफतर की जाती है आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ